-/-

न्यायालय विशेषाधिकारी, नगरीय विकास एवं आवासन विभाग,

। हाल कार्यालय-राजस्थान आवासन मण्डल: जयपुर ।

क्रमांक:- 1752 दिनांक: 2[illegible]

वाद संख्या:- ।1। 10/83।61।

।2। 10/83।62।

।3। 10/83।64।

।4। 10/83।78।

।5। 10/83।119।

।6। 10/83।126।

।7। 10/83।136।

विषय:- राजस्थान आवासन मण्डल द्वारा सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवासीय कॉलोनी बनाने हेतु अवाप्ति के अधीन भूमि का आंशिक अवार्ड ग्राम सांगानेर एवं [illegible]बाला का उपरोक्त वादों की कुल भूमि 31बीघा 2बिस्वा ।

पीठासीन अधिकारी:- 1- श्री बी0एम0शर्मा, विशेषाधिकारी, नगरीय विकास एवं आवासन विभाग, राजस्थान- जयपुर ।

पक्षकारान्:- 1- श्री गोपाल, भौरीलाल, पुत्र रामपाल ।

2- श्री गोपाल पुत्र रामपाल ।

3- श्री भौरी लाल पुत्र रामपाल ।

4- श्री शंकर पुत्र अमरा ।

5- श्री रामस्वरूपदास चेला नारायणदास ।

6- श्री हरिनारायण, सीताराम पुत्र राधूलाल ।

7- श्री भँवरलाल, सत्यनारायण, हरिनारायण पुत्र ग्यारसा बलाई ।

8- राजस्थान आवासन मण्डल, जरिये श्री एल0सी0गुप्ता, भूमि अवाप्ति अधिकारी एवं श्री जे0के0सिंघी, एडवोकेट।

1- राज्य सरकार के नगरीय विकास एवं आवासन विभाग, राजस्थान जयपुर की ओर से राजस्थान आवासन मण्डल के सार्वजनिक प्रयोजनार्थ अर्थात आवासीय

विशेषाधिकारी
नगरीय विकास एवं आवासन विभाग
राजस्थान, जयपुर

क्रमशः-2/-

-कॉलोनी ग्राम सांगानेर एवं बम्बाला जिला जयपुर की 1213बीघा 1बिस्वा भूमि अवाप्ति करने के आदेश राजस्थान भूमि अवाप्ति अधिनियम 1953 जिसे आगे अधिनियम शब्द से सम्बोधित किया जायेगा, की धारा 4 के अन्तर्गत दिये गये जिसकी अधिसूचना क्रमांक :प07(2) नविआ/83 दिनांक 22-8-83 को जारी की गई जो राजस्थान राज पत्र में दिनांक 22-8-83 को प्रकाशित की गई ।

2- तत्पश्चात् राज्य सरकार ने भूमि को अवाप्ति की अति आवश्यकता को ध्यान में रखते हुये राजस्थान भूमि अवाप्ति अधिनियम 1953 की धारा 17 की उपधारा 4 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में धारा 9बी की उप धारा (1) में उल्लेखित नोटिस प्रकाशित हो जाने की तिथि से 15 दिवस की समाप्ति पर उपरोक्त विज्ञप्ति में उल्लेखित भूमि का कब्जा लेने हेतु विशेषाधिकारी, नगरीय विकास एवं आवासन विभाग राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर को विज्ञप्ति क्रमांक:प07(20)नविआ/111/83 दिनांक 19मार्च, 1984 जो राजस्थान राजपत्र के भाग (ख) में दिनांक 19मार्च, 1984 को प्रकाशित हुई, के द्वारा अधिकृत किया ।

3- धारा 17(4) की अधिसूचना प्रकाशित होने के पश्चात् नियमानुसार सम्बन्धित भूमि का कब्जा प्राप्त करने हेतु अधिनियम की धारा 9(1) को नोटिस दिनांक 23-5-84 को जारी किया गया । उक्त नोटिस जारी होने के 15 दिवस पश्चात् भूमि का कब्जा प्राप्त करने हेतु कार्यवाही की गई जिसके अनुसार दिनांक 11-6-84 को कुल भूमि 1173बीघा 16बिस्वा भूमि का कब्जा लिया गया । शेष भूमि का कब्जा स्थगन आदेशों के कारण नहीं लिया गया । उक्त 1173बीघा 16बिस्वा भूमि का कब्जा लेकर मौके पर ही राजस्थान आवासन मण्डल के प्रतिनिधि को सम्भलाया गया ।

4- उपरोक्त कार्यवाही के पश्चात् सम्बन्धित खातेदारों को अधिनियम की धारा 9(3) के अन्तर्गत नोटिस जारी किये जाकर सम्बन्धित खसरा नम्बरों की भूमि का क्लेम प्रस्तुत करने हेतु सूचित किया गया ।

5- वर्तमान में उपरोक्त में से कुल 31बीघा 2बिस्वा का ही अवार्ड दिया जा रहा है । अवार्ड दिये जाने वाली भूमि का विवरण निम्न प्रकार है:-

क्रमशः:-3/-

विशेषाधिकारी
नगरीय विकास एवं आवासन विभाग
राजस्थान, जयपुर

क्र.सं.	दावा संख्या	नाम खातेदार	खसरा नं0	रकबा बीघा - बिस्वा
1-	10/83।61।	श्री गोपाल, भौरीलाल पुत्र रामलाल	924	1 - 10
			942	0 - 18
				2 - 08
2-	10/83।62।	श्री गोपाल पुत्र रामलाल	1049	0 - 19
3-	10/83।64।	श्री भौरीलाल पुत्र रामलाल	925	0 - 11
			1036	0 - 13
			1037	0 - 05
			1038	0 - 14
			1039	0 - 05
			1040	0 - 12
			1044	0 - 15
			1046	0 - 06
				4 - 01
4-	10/83।78।	श्री शंकर पुत्र अमरा	1031	0 - 01
			1032	0 - 04
			1052	0 - 09
			1060	0 - 11
			1061	0 - 18
				2 - 03
5-	10/83।119।	श्री रामस्वरूपदास चेलाश्री नारायणदास	213	0 - 11
			214	0 - 04
			216	0 - 02
			231	0 - 17
			233	0 - 11
			280	0 - 11
			281	1 - 10
			285	0 - 11
			338	2 - 07
			339	1 - 10

क्रमशः/4-

विशेषाधिकारी
नगरीय विकास एवं आवासन विभाग
राजस्थान, जयपुर

1-	2-	3-	4-	5-	6
			340	0 - [illegible]	
			341	1 - 0[illegible]	
			345	1 - 14	
			353	0 - 07	
			363	0 - 02	
			399	0 - 02	
			402	1 - 12	
			338/644	1 - 01	
			341/645	0 - 18	
				16 - 00	
6-	10/83़126़	श्री हरिनारायण, सीताराम पुत्र राधूलाल	273	0 - 16	
			300	1 - 09	
			301	0 - 18	
			302	1 - 13	
				4 - 16	
7-	10/83़136़	श्री भँवरलाल, सत्यनारायण हरिनारायण पुत्र ग्यारसा बलाई ।	377	0 - 15	

उपरोक्त भूमि राजस्व रिकार्ड में उपरोक्त खातेदारों के नाम दर्ज है, अत: तदनुसार अवार्ड दिया जा रहा है ।

6- अधिनियम की धारा 9़3़ के अन्तर्गत खातेदारों को नोटिस दिया गया। इनमें दावेदारों द्वारा क्लेम पेश किये गये, जिसका विवरण निम्न प्रकार है:-

़1़ वाद संख्या:-10/83़61़ श्री गोपाल, भौंरीलाल पुत्र रामपाल द्वारा प्रस्तुत क्लेम:-

अ ़1़ भूमि का मुआवजा	1,44,000/-
अ़2़ होद, धोरे, पाईप, घुमटी	1,000/-
अ ़3़डोली, फसल वृक्ष	3,000/-
अ ़4़कच्चा घर	2,000/-
अ ़5़आपद स्तोत्र समाप्ति	5,000/-
अ ़6़क्लेम पैरवी का हर्जा	5,500/-
विभिन्न मदों का कुल योग	1,60,500/-

अनिवार्य अवाप्ति के 10% वृद्धि के पश्चात् 1,76,550/-रू. व 6% ब्याज वार्षिक दर से कब्जा लेने के दिन से मुआवजा दिये जाने के दिन तक ब्याज दिया जावे व अन्य दादरसी दी जावे ।

नगरीय विकास एव आवासन विभाग
राजस्थान, जयपुर

क्रमश:5/-

(2) वाद संख्या:-10/83(62) श्री गोपाल, पुत्र रामपाल द्वारा प्रस्तुत क्लेम:-

1- भूमि का मुआवजा	57,000
2- कुआ पम्प सैट मुआवजा	65,000
3- होद, धोरे, पाईप, घुमटी	7,150
4- डोली, फसल वृक्ष	15,560
5- कच्चा घर	3,000
6- आमद स्त्रोत समाप्ति	3,000
7- क्लेम पैरवी हर्जा	500
विभिन्न मदों का कुल योग	1,51,210

अनिवार्य अवाप्ति के 10% वृद्धि के पश्चात् 1,66,331 व 6% ब्याज वार्षिक दर से कब्जा लेने के दिन से मुआवजा दिये जाने के दिन तक ब्याज दिया जावे व अन्य दादरसी दी जावे।

(3) वाद संख्या:10/83(64) श्री औरीलाल पुत्र रामपाल द्वारा प्रस्तुत क्लेम:-

1- भूमि का मुआवजा	2,43,000/-
2- कुआ पम्पसैट मुआवजा	75,000/-
3- होद, धोरे, पाईप, घुमटी	2,350/-
4- डोली, फसल वृक्ष	4,500/-
5- कच्चा घर	7,500/-
6- आमद स्त्रोत समाप्ति	10,000/-
7- क्लेम पैरवी हर्जा	500/-
विभिन्न मदों का कुल योग	3,42,850/-

अनिवार्य अवाप्ति के 10% वृद्धि के पश्चात् 3,77,135/- व 6% ब्याज वार्षिक दर से कब्जा लेने के दिन से मुआवजा दिये जाने के दिन तक ब्याज दिया जावे व अन्य दादरसी दी जावे।

(4) वाद संख्या:-10/83(78) श्री शंकर पुत्र अमरा द्वारा प्रस्तुत क्लेम:-

1- भूमि का मुआवजा	1,29,000/-
2- होद, धोरे, पाईप, घुमटी	2,250/-
3- डोली, फसल वृक्ष	11,000/-
4- पक्का मकान 6ट्रक पत्थर	1,000/-
5- कच्चा घर	1,500/-
6- आमद स्त्रोत समाप्ति	25,000/-
7- क्लेम पैरवी का हर्जा	500/-
विभिन्न मदों का कुल योग	1,70,250/-

अनिवार्य अवाप्ति के 10% वृद्धि के पश्चात् 1,87,275/-रू. व 6% ब्याज वार्षिक दर से कब्जा लेने के दिन से मुआवजा दिये जाने के दिन तक ब्याज दिया जावे व अन्य दादरसी दी जावे।

विशेषाधिकारी
नगरीय विकास एवं आवासन विभाग
राजस्थान, जयपुर

क्रमशः:-6/-

नगरीय विकास एवं आवासन विभाग ... सत्यमेव जयते ... जयपुर

§5§ वाद संख्या:-10/83§।।9§श्री रामस्वरूपदास चेला नारायणदास द्वारा प्रस्तुत क्लेम :-

1. कुल रकबा 12बीघा 7बिस्वा ग्राम बम्बाला तहसील सांगानेर में बेहतरीन, किस्म की सन्नत कृषि भूमि है और जिसमें साग सब्जी व अनाज की साल भर में 4फसले काश्त होती हैं। जिसकी कीमत के 82000/-रूपये प्रति बीघा से 10,12,700/-अंके दस लाख बारह हजार सात सौ रूपया प्रार्थी को दिलाया जावे ।

2- बोरिंग मय बिजली पम्पसैट के लगा हुआ है जिसके कुल रू. 98,099 दिलाये जावे ।

3- कोठी छोटी 4फुट चौड़ी व 30फुट गहरी बनी हुई है जिसकी कीमत के 40,000/-रू. दिलाये जावे ।

4- बकिया भूमि में 59 पैड़ बबूल के जिनकी कीमत 20,000/-रू. दिलाये जावे ।

5- यह कि खसरा नम्बर 363 में 2 पेड़ बड़ के व 1 पैड़ पीपल का है जिसकी कीमत के 10,000/-रूपये दिलाये जावे ।

6- यह कि इस भूमि के चारों तरफ डोली लगी हुई है और इस डोली पर पानी लगी हुई है इस डोली का मुआवजा 10,000/-रू. प्रार्थी को दिलाये जावे तथा पानी कुंचों की आमदनी के नुकसान के 500/-रूपये दिलाये जावे ।

7- यह कि प्रार्थीगण को भूमि से हटाया जाता है तो उनको अपना अपना सामान अन्यत्र डालना पड़ेगा जिसके 10,000/-रू. फिटिंग चार्जेज के दिलाये जावे ।

§ब§ लाला राम पुत्र मूल चन्द:-

1- भूमि 1बीघा 10बिस्वा का मूल्य 1,50,000/-बनते हैं उक्त क्षति को दावेदार पाने का मुस्तहक है ।

2- बबूल के 50पेड़ हैं जिनका 500/-रू. के हिसाब से 25,000/-रू., बोर्डी के 4 पेड़ है जिनका 500/-रू. प्रति पेड़ के हिसाब से 2,000/-रू. हैं कुल 27,000/-रूपये बनते है जिन्हें अप्रार्थी क्लेमेन्ट पाने का मुस्तहक है।

3- गेहूँ एवं बाजरा तथा सब्जियाँ होती है जिनके 6,500/रू. होते हैं तथा चारा रंजका आदि से 1,000/-सालाना आय होती है इस प्रकार कुल 7,500/-रू. की क्षति दावेदार पाने का अधिकारी है ।

4- भूमि 450 पूले हैं जिनकी क्षति 6,500/-रू. कच्ची बाउन्ड्री वाल जिसकी क्षति 8,500/-कुल 15,000/-रू. बनता है जो क्षति दावेदार पाने का मुस्तहक है ।

5- सभी मदों से दावेदार का प्रत्यक्ष क्लेम 1,99,500/-अक्षरे एक लाख निन्यानवे हजार पाँच सौ रूपये बनता है जिसे दावेदार प्राप्त करने का अधिकारी है ।

... नगरीय विकास एवं आवासन विभाग राजस्थान, जयपुर

क्रमशः:- 7/-

(6) सुविधाये समाप्त होंगी जिसकी क्षतिपूर्ति में नहीं आंकी जा सकती है, फिर भी दावेदार रु.32,500/-रु. अप्रार्थी दावेदार आंकता है जिसे वह पाने का मुस्तहक है।

(7) कम्पनसेशन राशि 30प्रतिशत के मुआवजे को 56,000/-रु. बनते है, जिसे क्षति दावेदार पाने का मुस्तहक है।

(8) हार्डशिप के 10प्रतिशत से 16,000/-रुपये बनते हैं जिसे दावेदार पाने का अधिकारी है।

(9) दावेदार को एक रिहायशी प्लाट 300गज का दिलाया जावे।

(10) प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष क्षति 3,04,000/-रुपये अक्षरे तीन लाख चार हजार रुपये बनते हैं जिन्हें दावेदार पाने का मुस्तहक है।

(स) सत्यनारायण पुत्र गोपी :-
====================

(1) 2बीघा 3बिस्वा भूमि की क्षतिपूर्ति की राशि 82,000/-रुपये प्रति बीघा के हिसाब से 1,76,300/-प्रार्थी उजरदार को दिलाये जावे।

(2) क्षतिपूर्ति पर कब्जा लेने के कारण 15प्रतिशत ब्याज दिलाया जावे।

(3) यह कि यह भूमि आवश्यक रूप से अवाप्त की जा रही है इसकी क्षतिपूर्ति के 30प्रतिशत नियमानुसार दिलाये जावे।

(4) शिफ्टिंग चार्जेज के 2000रुपये दिलाये जावे।

(5) कानूनी सलाहकार खर्चा क्षति राशि पर 5 प्रतिशत दिलाई जावे।

(6) वाद संख्या:10/83(126)श्री हरिनारायण, सीताराम पुत्र राधूलाल द्वारा प्रस्तुत क्लेम:-

1- भूमि का	3,93,600/-
2- पेड़ों का	12,000/-
3- कुआ	20,000/-
4- बाउन्ड्री	8,500/-
कुल योग	4,34,100/-

उपरोक्त सम्पत्ति के मुआवजा राशि के रूप में मूल्यांकित राशि 4,34,100/- प्लस अनिवार्य अधिग्रहण चार्जेज 43,410/-प्लस/स्थल/स्थानान्तरण चार्जेज 43,410रुपये तैतालीस हजार चार सौ दस रुपये, इसी प्रकार हार्डशिप चार्जेज 21,705 रुपये कुल 5,42,625रुपये अक्षरे पाँच लाख बयालीस हजार छःसौ पच्चीस रुपये प्राप्त करने का अधिकारी है।

(7) वाद संख्या:-10/83(136) श्री भँवरलाल, सत्यनारायण, हरिनारायण पुत्र [illegible] बलाई द्वारा प्रस्तुत क्लेम :-

---

विधि अधिकारी
नगरीय विकास एवं आवासन विभाग
राजस्थान, जयपुर

क्रमशः-8/-

1- भूमि	61,500/-
2- पेड़	3,000/-
3- बाउन्ड्री	600/-
4- नालियाँ	1,200/-
योग रूपये	66,300/-

5- यह कि कम्पलसरी एक्वीजिशन चार्जेज उक्त कम्पनसेशन राशि पर 10% देय है जिसकी राशि नियमानुसार 6630रूपये अक्षरे छ:हजार छ:सौ तीस रूपये अलग से प्राप्त करने का अप्रार्थी क्लेमेन्ट को अधिकारी है ।

6- इस प्रकार मुआवजा राशि के रूप में मूल्यांकित राशि 66,300/-रू. प्लस अनिवार्य अधिग्रहण चार्ज 6630रूपये प्लस स्थल स्थानान्तरण चार्जेज 6630/- प्लस हार्डशिप चार्ज 3,315/-रूपये इस प्रकार कुल 86,130/-रू. अक्षरे छियासी हजार एक सौ तीस रूपये प्राप्त करने का अधिकारी है ।

7-राजस्थान आवासन मण्डल ने दावेदारों के क्लेम के उत्तर प्रस्तुत कर क्लेम में मांगी गई क्षतिपूर्ति की राशि को अधिक बताते हुये अस्वीकार किया तथा यह बताया गया कि भूमि की कीमत अधिक से अधिक 10,000/-रू. प्रति बीघा हो सकती है ।

8- भूमि पर स्थित स्ट्रेक्चर्स के सम्बन्ध में राजस्थान आवासन मण्डल द्वारा निम्न प्रकार सूचित किया गया :-

(1) वाद संख्या:-10/83(61) श्री गोपाल,भौंरीलाल पुत्र रामपाल :-

1- मिट्टी का ढोला साधारण	379.61
2- पेड़	
बबूल(छोटा)2नग दर100रू.प्र.नग	200.00
3- ,, (पौधा) 1 ,, 25रू.प्रतिनग	25.00
4- ,, (बहुत छोटे)3,,50.00	150.00
	375.00

कुल योग 379.61 एवं 375.00=754.61

(2) वाद संख्या:-10/83(62) श्री गोपाल पुत्र रामपाल:-

1- साधारण मिट्टी का ढोला	75.93
2- आर.सी.सी कुआँ	27,137.82
3- बिजली कनेक्शन	613.02
4- पानी का होद	407.16
5- बल्लियों पर झोपड़ी	273.02
6- ए.सी.पाईप 4 इन्च	94.00
7- बोरिंग	24,000.00
कुल योग	52,600.95

भूमि अवाप्ति अधिकारी
नगरीय विकास एवं आवासन विभाग
राजस्थान, जयपुर

क्रमश:-9/-

(3) वाद संख्या :-10/83 (64) श्री गौरीलाल पुत्र रामपाल :-

1-	मिट्टी का डोला	349.48
2-	पेड़	4,125.00
3-	कच्चे मकान	7,146.75
4-	ए०सी०पाइप लाईन	207.00
5-	पानी की होदियां	560.00
6-	आर.सी.सी. कुआँ मय प्लेटफार्म	33,882.49
7-	बोरिंग	20,421.60
8-	बिजली की गुमटी	406.83
9-	रिहायशी मकान	37,435.56
	कुल योग	1,04,534.71

(4) वाद संख्या:-10/83 (78) शंकर पुत्र अमरा :-

1-	साधारण मिट्टी का डोला	378.51
2-	पेड़	
	बबूल (बड़े) 7 नग दर 125/-प्रतिनग	875.00
	,, (मध्यम श्रेणी) 1 100/-प्रतिनग	100.00
	,, (छोटे) 6नग 50प्रति नग	300.00
	कुल योग	1,653.51

(5) वाद संख्या:-10/83 (119) श्री रामस्वरूपदास चेला नारायणदास :-

"ए"	(1) मिट्टी का डोला	205.00
	(2) पानी की होदी	78.57
	(3) पक्की नाली	1,002.11
	(4) कुआ	7,756.56
	(5) प्लेटफार्म	216.64
	(6) पानी का टैंक	94.31
	(7) पानी का टैंक	141.10
	(8) बिजली की गुमटी	471.00
	(9) मैशेनरी	1,602.19
		11,567.48
(बी)	(1) पेड़	70.00
	योग	70.00

(6) वाद संख्या:-10/83 (126) हरिनारायण, सीताराम पुत्र राधूलाल :-

जिला अधिकारी
नगरीय विकास एवं आवासन विभाग
राजस्थान, जयपुर

॥1॥ मिट्टी का डोला	99.13
॥2॥ पेड़ों का मुआवजा	1,125.00
॥3॥ आर.सी.सी.कुआँ मय बोरिंग	32,077.60
॥4॥ विद्युत गुमटी	226.60
योग	33,528.33

॥7॥ वाद संख्या:- 10/83॥136॥ भँवरलाल, सत्यनारायण, हरिनारायण पुत्र ग्यारसा बलाई।

॥1॥ पेड़ों का मुआवजा	200.00
कुल	200.00

9- राजस्थान आवासन मण्डल द्वारा अपने जवाब के समर्थन में तीनविक्रय पत्र क्रमशः दिनांक 24अक्टूबर, 1983, 15मार्च, 1984 एवं 30-5-83 की प्रतियाँ पेश की गयी।

10- सम्बन्धित दावेदारों द्वारा निम्न प्रकार दस्तावेज अपने पक्ष के समर्थन में पेश किये गये:-

वाद संख्या:- 10/83॥61॥, 10/83॥62॥, 10/83॥64॥

॥1॥ विक्रय पत्र दिनांक 30-8-84 की फोटोप्रति।

वाद संख्या:-10/83॥78॥

कोई साक्ष्य पेश नहीं किया गया।

वाद संख्या:- 10/83॥119॥

॥1॥ इस वाद में दावेदार श्री रामस्वरूपदास की ओर से साक्ष्य में नकल अवार्ड दिनांक 4-2-85 द्वारा भूमि अवाप्ति अधिकारी सार्वजनिक निर्माण विभाग वृत2 जयपुर ॥दोनों अवार्ड॥ की फोटो प्रति।

॥2॥ नकल अवार्ड दिनांक 20-2-85 द्वारा भूमि अवाप्ति अधिकारी, सार्वजनिक निर्माण विभाग वृत2 जयपुर की फोटोप्रति।

वाद संख्या:- 10/83॥126॥ व 10/83॥136॥

॥1॥ नकल अवार्ड दिनांक 20-2-85 द्वारा भूमि अवाप्ति अधिकारी वृत2 जयपुर की फोटोप्रति।

॥2॥ नकल विक्रय पत्र दिनांक 30-8-84 की फोटोप्रति।

11- उपरोक्त मामलों में दावेदारों द्वारा अपनी भूमि के मुआवजे हेतु भूमि की दर 60,000/-प्रति बीघा से 1,00,000/-प्रति बीघा तक दिये जाने की मांग की है।

विशेषाधिकारी
नगरीय विकास एवं आवासन विभाग
राजस्थान, जयपुर

क्रमशः:11/-

12- राजस्थान आवासन मण्डल द्वारा अपने जवाब में यह अंकित किया गया है कि इस कृषि भूमि की कीमत अधिक से अधिक रुपये 10,000/-प्रति बीघा हो सकती है, इससे अधिक कदापि नहीं एवं अपने इस कथन के समर्थन में उनके द्वारा विक्रय पत्र दिनांक 24-10-83 जिसमें ग्राम दयोपुर की 3बीघा 3बिस्वा भूमि रुपये 29,999/-में बेची गई है, की फोटो कापी पेश की है जिसके अनुसार उक्त भूमि की कीमत रुपये 9,523/-प्रतिबीघा है किन्तु इस विक्रय पत्र का अध्ययन करने से यह तथ्य जानकारी में आता है एवं यह विक्रय पत्र में अंकित भी किया गया है:-

" यह भूमि बम्बाला की नदी के पास स्थित है। विगत बाढ़ के समय आधी से ज्यादा जमीन नदी की चपेट में आ जाने से खाले पड़ रहे हैं तथा आधी से अधिक जमीन नदी के रूप में है तथा शेष डेढ़ या पौने दो बीघा जमीन ही काश्त की है । उक्त भूमि पर किसी प्रकार की , पैदावार नहीं की जाती है.। "

इस प्रकार यह विक्रय पत्र की प्रति जो पेश की गई है उसमें विक्रय तो 3बीघा 3बिस्वा दिया जाना बताया गया है लेकिन वास्तविक रूप से जमीन आधी या चौथाई ही विक्रय की गई है एवं चूँकि इस भूमि में किसी प्रकार की पैदावार नहीं की जाती है इसलिये इस विक्रय पत्र के आधार पर वर्तमान में मामले में भूमि की दर निश्चित् किया जाना मेरे विचार से न्यायोचित नहीं होगा ।

राजस्थान आवासन मण्डल द्वारा अपने समर्थन में अन्य विक्रय पत्र दिनांक 15-3-84 की प्रति पेश की गई है जिसमें ग्राम दयोपुर में8बीघा 01बिस्वा भूमि का आधा हिस्सा रुपये 30,000/-में विक्रय किया गया जिसके अनुसार भूमि की दर लगभग 7,500/-प्रतिबीघा है । इस विक्रय पत्र के अन्त में यह लिखा गया है कि विक्रय की गई कृषि भूमि कस्बे से करीबन 3किलोमीटर अन्दर क्षेत्र में है तथा भूमि किसी भी रोड साईड पर नहीं है एवं बारानी है ।

इस प्रकार इस विक्रय पत्र के द्वारा कस्बे से 3 किलोमीटर अन्दर जाकर भूमि विक्रय की गई है, अत: इस विक्रय पत्र के आधार पर वर्तमान मामले में भूमि की दर तय किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है ।

राजस्थान आवासन मण्डल द्वारा अपने पक्ष के समर्थन में ग्राम बम्बाला की 7बीघा 18बिस्वा भूमि का 1/3 हिस्सा दिनांक 30-3-83 को रुपये 25,000/-में विक्रय किये जाने पर विक्रय पत्र की फोटो प्रति पेश की है जिसके अनुसार भूमि की दर लगभग रुपये 9,500/-आती है । इस विक्रय पत्र में यह नोट लिखा गया है कि विक्रय की गई कृषि भूमि टोंक रोड से करीबन 1-1/2मील अन्दर क्षेत्र में है इसलिये मेरे विचार में इस विक्रय पत्र के आधार पर वर्तमान मामलों में भूमि की दर तय किया जाना न्यायोचित नहीं होगा ।

राजस्थान आवासन मण्डल द्वारा उपरोक्त के अतिरिक्त अपने पक्ष समर्थन में कोई अन्य सबूत या दस्तावेज पेश नहीं किया गया है ।

विशेषाधिकारी
नगरीय विकास एवं आवासन विभाग
राजस्थान, जयपुर

क्रमश: 12/-

13- सम्बन्धित दावेदारों द्वारा अपने क्लेम के समर्थन में विक्रय पत्रों की प्रतियाँ पेश की है उन मामलों में भूमि का एक छोटा सा हिस्सा ही विक्रय किया गया है एवं भूमि की स्थिति भी बिल्कुल भिन्न है । भूमि के छोटे से हिस्से को विक्रय किये जाने की दर को राजस्थान आवासन मण्डल द्वारा विशाल स्तर पर अवाप्त किये जाने वाली भूमि के मुआवजे का आधार नहीं बनाया जा सकता , अत: इन विक्रय पत्रों के आधार पर वर्तमान मामलों में भूमि की दर तय किया जाना मेरे विचार से न्यायोचित नहीं होगा ।

14- इसके अतिरिक्त सम्बन्धित दावेदारों द्वारा न्यायालय भूमि अवाप्ति अधिकारी, सार्वजनिक निर्माण विभाग, वृत2, जयपुर एवं भूमि अवाप्ति अधिकारी जिलाधीश कार्यालय, जयपुर क्रमश: दिनांक 4-2-85 एवं 20-2-85 व 15-6-85 की फोटो प्रतिलिपियाँ पेश की गई है जिनके अनुसार भूमि का मुआवजा लगभग रूपये 40,000/-प्रतिबीघा की दर से तय किया गया है किन्तु इन मामलों में सम्बन्धित विभागों की भूमि विशेष की ही आवश्यकता होने के कारण यह मुआवजा दिया गया है । अत: इन अवार्डों के आधार पर भी वर्तमान मामलों में भूमि की दर तय किया जाना मेरे विचार से न्यायोचित नहीं होगा ।

15- मैंने इन प्रकरणों से सम्बन्धित मौका का निरीक्षण किया एवं पत्रावलियों में प्रस्तुत दस्तावेजों का अध्ययन किया तथा सम्बन्धित पक्षकारों की बहस सुनी। यह भूमि जयपुर शहर के निकट सांगानेर टाउन के समीप स्थित है एवं इसके समीप ही सांगानेर हवाई अड्डा भी स्थित है । अत: भविष्य में होने वाले विकास के दृष्टिकोण से भूमि की स्थिति बहुत महत्वपूर्ण है । अत: मैं भूमि की पोटेंशियलीटी के आधार पर एवं सांगानेर टाउन के समीप होने के कारण एवं भविष्य में होने वाले विकास को दृष्टिगत रखते हुये मौके मुआयने के अनुसार भूमि का मुआवजा दिया जाना न्यायोचित समझता हूँ ।

16- उपरोक्त मामलों में से वाद संख्या:10/83(119) में खातेदार श्रीरामस्वरूप दास चेला नारायण दास द्वारा इस न्यायालय के समक्ष यह शपथ पत्र पेश कर निवेदन किया है कि इस वाद में अंकित भूमि में से खसरा नं0-231, 233,213,214 कुल रकबा 2बीघा 3बिस्वा भूमि श्री सत्यनारायण पुत्र गोपी को बेचान कर दी थी, तथा खसरा नं0-281 रकबा 1बीघा 10बिस्वा की भूमि लालाराम पुत्र मूलचन्द को बेच दी थी, अत: उनका मुआवजा उन्हीं

विशेषाधिकारी
नगरीय विकास एवं आवासन विभाग
राजस्थान, जयपुर

क्रमश:13/-

-को दिया जावे । इस प्रकार खसरा नं0-285 रकबा 11बिस्वा के बाबत यह लिखकर दिया है कि उसका विक्रय श्री रामप्रसाद पुत्र टेकचन्द को किया जा चुका है । इस बाबत रजिस्टर्ड विक्रय पत्र भी प्रस्तुत किया गया इन परिस्थितियों में श्री सत्यनारायण पुत्र गोपी को रकबा 2बीघा3बिस्वा श्री लालाराम पुत्र मूलचन्द को 1बीघा 10 बिस्वा भूमि तथा रामप्रसाद पुत्र टेकचन्द को 11बिस्वा का मालिकाना हक मानकर मुआवजा निर्धारण किया जा रहा है । कुल रकबा 16बीघा में से शेष भूमि रकबा 11बीघा 16बिस्वा का मालिकाना हक श्री रामस्वरूपदास चेला नारायणदास का माना गया ।

मौका मुआयना के समय यह जानकारी में आया कि इस भूमि में एक श्री नृहसिंह भगवान का मन्दिर स्थित है, जिसके व सड़क के मध्य में खसरा नं0-399 रकबा 2बिस्वा की भूमि है, सड़क से मन्दिर तक पहुँचने के लिये यह भूमि आवश्यक है । अत: इस भूमि को अवार्ड में शामिल नहीं किया जा रहा है । इस प्रकार मन्दिर के पीछे की ओर एक विशाल बड़ का पेड़ है तथा करोंदे की झाड़ियाँ व हरियाली चारों ओर है। मन्दिर के पुजारी श्री रामस्वरूपदास द्वारा मौके पर बताया गया कि जन्माष्टमी, शरद पूर्णिमा, नरसिंह चौदस आदि अनेक अवसरों पर श्री नरसिंह भगवान की मूर्ति को बड़ के पेड़ के नीचे लाकर उत्सव मनाया जाता है और फिर वापिस स्थापित किया जाता है । इसकी पुष्टि मौके पर उपस्थित लोगों द्वारा की गयी । इस प्रकार मेरे विचार में मन्दिर से लेकर बड़ के पेड़ तक भूमि मन्दिर उपयोग हेतु आवश्यक है । मौके पर उपस्थित राजस्थान आवासन मण्डल के प्रोजेक्ट इंजीनियर व अमीन द्वारा इसको नापा गया तो इसका क्षेत्रफल लगभग 1बीघा 12बिस्वा आया । इसका नजरी नक्शा मौके पर पत्रावली में बनाया गया । अत: 2बिस्वा भूमि तथा 1बीघा 12 बिस्वा कुल एक बीघा 14बिस्वा भूमि को मन्दिर उपयोग हेतु आवश्यक मानते हुये इसका मुआवजा निर्धारण नहीं किया जा रहा है । और राज्य सरकार से सिफारिश की जाती है कि इस भूमि को अवाप्ति से मुक्त कर दी जावे। मेरे विचार में अवाप्ति से मुक्त करते समय यह शर्त लगाना उपयुक्त होगा कि यह भूमि केवल मन्दिर के उत्सवआदि में ही उपयोग में ली जायेगी और यहाँ हरियाली ही रखी जायेगी, अन्य किसी भी प्रकार से इसका उपयोग नहीं किया जा सकेगा । अन्य प्रकार से उपयोग होने की दशा में यह स्वतः ही राज्य सरकार में निहित हो जायेगी ।

विशेषाधिकारी
नगरीय विकास एवं आवासन विभाग
राजस्थान, जयपुर

क्रमश: 14/-

वाद संख्या 10/83(126) में राजस्थान आवासन मण्डल द्वारा स्कीम के अवार्ड के साथ प्रस्तुत तख़मीने में आर.सी.सी. कुआं मय ... के रूपये 32,077.60 का तख़मीना दावेदार के हक में पेश किया है किन्तु मुख्य अधिकारी जयपुर के पत्र क्रमांक फा.3/एस.ओ.के./एल.एम./87/2281 दिनांक 9-12-87 से प्राप्त सूचना के अनुसार खातेदार का इस कुएं में आधा हिस्सा ही होने के कारण इस तख़मीने का आधा हिस्सा ही मुआवजे के रूप में दिया जा रहा है।

17- इन सभी मामलों में मुआवजा निर्धारण करते समय यही कठिनाई अरबन सीलिंग एक्ट बाबत आयी, क्योंकि जो भूमि सीलिंग एक्ट से प्रभावित है, उनका अवार्ड भूमि अवाप्ति अधिनियम के तहत नहीं किया जा सकता है। अतः उपरोक्त मामलों में सम्बन्धित भूमि के सीलिंग एक्ट से प्रभावित होने के बाबत रिपोर्ट प्रस्तुत करने हेतु राजस्थान आवासन मण्डल को अनेकों बार लिखा गया एवं व्यक्तिगत रूप से भी निवेदन किया गया, किन्तु उनके द्वारा कोई स्पष्ट रिपोर्ट निम्न हस्ताक्षरकर्ता के समक्ष इन भूमियों के सीलिंग एक्ट से प्रभावित नहीं होने के बाबत पेश नहीं की गयी। अनेकों बार स्मरण करवाने के पश्चात् सचिव, राजस्थान आवासन मण्डल द्वारा अपने पत्र क्रमांक प0(84)भू.अ./677 दिनांक 25-5-88 द्वारा सक्षम अधिकारी (प्रथम) नगर भूमि कर विभाग से प्राप्त पत्र क्रमांक 1616 दिनांक 5-12-87 के साथ में अधिनियम की धारा 10(5) से प्रभावित भूमि एवं धारा 10(6) के तहत जयपुर विकास प्राधिकरण को कब्जा दी गयी भूमि की सूची की फोटोप्रति इस कार्यालय को प्रेषित की गयी एवं मौखिक रूप से यह बताया गया कि जो भूमि सीलिंग एक्ट से प्रभावित है उसके खसरा नं0-सूची में दर्ज है एवं जिनके खसरा नं0 सूची में नहीं है वह सीलिंग एक्ट से प्रभावित नहीं है। इन परिस्थितियों में स्पष्ट सूचना प्राप्त नहीं होने के बावजूद भी चूंकि उपरोक्त मामलों की भूमि राजस्थान आवासन मण्डल द्वारा प्रस्तुत सूची में अंकित नहीं है, इस आधार पर अवार्ड जारी किया जा रहा है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर दावेदारों के हक में मुआवजे का निर्धारण निम्नानुसार किया जाता है :-

भूमि अवाप्ति अधिकारी
नगरीय विकास एवं आवासन विभाग
राजस्थान, जयपुर

क्रमशः15/-

(1) वाद संख्या:-10/83(61) खातेदार श्री गोपाल, भैरीलाल पुत्र रामपाल:-

1- कुल भूमि 2बीघा 8बिस्वा का मुआवजा रू. 25000/-प्रतिबीघा की दर से रूपये	60,000.00
2- मिट्टी की डोल व पेड़ों का तखमीना राजस्थान आवासन मण्डल के अनुसार रू.	754.61
कुल	60,754.61

3- मुआवजे की 30% सोलेशियम की राशि रू. 18,226.38

4- रूपये 60,754.61 का धारा 4(1) की दिनांक से कब्जे की दिनांक 11-6-84तक ब्याज की राशि 12% की दर से रूपये 5,892.36

उपरोक्त मुआवजे की राशि पर कब्जे की दिनांक से 1वर्ष तक 9% तथा तत्पश्चात् भुगतान की दिनांक तक 15% ब्याज देय होगा जिसकी गणना राजस्थान आवासन मण्डल द्वारा भुगतान के समय की जायेगी।

(2) वाद संख्या:-10/83(62)खातेदार श्री गोपाल पुत्र रामपाल:-

1- कुल भूमि 19 बिस्वा का मुआवजा रूपये 25000/-प्रतिबीघा की दर से रूपये	23,750.00
2- मिट्टी की डोल, कुआँ, बोरिंग, होदी आदि का मुआवजा राजस्थान आवासन मण्डल के तखमीने के अनुसार रूपये	52,600.95
कुल	76,350.95

3- अनिवार्य अवाप्ति हेतु 30% सोलेशियम की राशि रूपये - 22,905.28

4- धारा 4(1)की दिनांक 22-8-83 से कब्जे की दिनांक 11-6-84 तक 12% ब्याज की राशि रूपये - 7,404.99

उपरोक्त मुआवजे पर कब्जे की दिनांक से 1वर्ष तक 9% तथा तत्पश्चात् भुगतान की दिनांक तक 15% की दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा जिसकी गणना राजस्थान आवासन मण्डल द्वारा भुगतान के समय की जायेगी ।

नगरीय विकास एवं आवासन विभाग
राजस्थान, जयपुर

क्रमश:16/-

§3§ वाद संख्या:-10/83§64§ खातेदार श्री भौंरीलाल पुत्र श्री [illegible]:-

1- कुल भूमि 4बीघा 01बिस्वा का मुआवजा रूपये 25,000/-प्रतिबीघा की दर से रूपये-	1,01,250.00
2- मिट्टी का डोल, पेड़, कच्चे मकान, रिहायशी मकान, कुआँ, बोरिंग आदि का तखमीना राजस्थान आवासन मण्डल के अनुसार रु.	1,04,534.71
कुल	2,05,784.71
3- अनिवार्य अवाप्ति हेतु 30% सोलेशियम की राशि रूपये -	61,735.23
4- धारा 4§1§ की दिनांक 22-8-83 से कब्जे की दिनांक 11-6-84 तक धारा 23§1§ए§ के तहत 12% ब्याज की राशि रूपये -	19,958.30

उपरोक्त मुआवजे की राशि पर कब्जे की दिनांक 11-6-84 से एक वर्ष तक 9% की दर से तथा तत्पश्चात् भुगतान तक 15% की दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा जिसकी गणना राजस्थान आवासन मण्डल द्वारा भुगतान के समय की जायेगी ।

§4§ वाद संख्या :- 10/83§78§ खातेदार श्री भंवर पुत्र अमरा:-

1- कुल भूमि 2बीघा 03बिस्वा का मुआवजा रूपये 25000/-प्रतिबीघा की दर से रूपये-	53,750.00
2- मिट्टी के डोल व पेड़ों का मुआवजा राजस्थान आवासन मण्डल द्वारा प्रस्तुत तखमीने के अनुसार रूपये-	1,653.51
कुल	55,403.51
3- अनिवार्य अवाप्ति का मुआवजा 30% सोलेशियम की राशि रूपये -	16,621.05

उपरोक्त मुआवजे पर कब्जा लेने की दिनांक 11-6-84 से एकवर्ष की अवधि तक 9% की दर से तथा तत्पश्चात् भुगतान की दिनांक तक 15% की दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा जिसकी गणना राजस्थान आवासन मण्डल द्वारा भुगतान के समय की जायेगी ।

विशेषाधिकारी
नगरीय विकास एवं आवासन विभाग
राजस्थान, जयपुर

क्रमशः:-17/-

§5§ वाद संख्या:-10/83§119§

खातेदार श्री रामस्वरूपदास चेला नारायणदास तथा दावेदार श्री सत्यनारायण पुत्र गोपी, लाला पुत्र मूलचन्द, रामप्रसाद पुत्र देवकरण:-

§अ§ श्री रामस्वरूपदास चेला नारायणदास :-

1- कुल भूमि 10बीघा 2बिस्वा का मुआवजा
रूपये 26000/-प्रति बीघा की दर से रूपये- 2,62,600.00

2- कूएँ, होल, बोरिंग, प्लेटफार्म आदि का
तकमीना राजस्थान आवासन मण्डल के
अनुसार रूपये- 27,029.48

कुल 2,89,629.48

3- अनिवार्य अवाप्ति का मुआवजा 30%
सोलेशियम की राशि रूपये- 86,888.84

4- धारा 23§1§§ए§के अनुसार धारा 4§1§की
दिनांक 22-8-83 से कब्जे की दिनांक 11-6-84
तक ब्याज की राशि 12% की दर से रूपये- 28,090.09

उपरोक्त मुआवजे की राशि पर कब्जे की दिनांक 11-6-84 से एक वर्ष तक 9% की दर से तथा तत्पश्चात् भुगतान की दिनांक तक 15% की दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा जिसकी गणना राजस्थान आवासन मण्डल द्वारा भुगतान के समय की जायेगी ।

§ब§ दावेदार श्री सत्यनारायण पुत्र गोपी:-

1- कुल भूमि 2बीघा 3बिस्वा का मुआवजा
रूपये 26000/-प्रतिबीघा की दर से रूपये- 55,900.00

2- पेड़ का तकमीना राजस्थान आवासन मण्डल
के अनुसार रूपये - 70.00

कुल 55,970.00

3- अनिवार्य अवाप्ति का मुआवजा 30%
सोलेशियम की राशि रूपये- 16,791.00

4- धारा 23§1§§ए§के अनुसार धारा4§1§
की दिनांक 22-8-83 से कब्जे की दिनांक
11-6-84 तक 12% ब्याज की राशि रूपये -5,428.32

विशेषाधिकारी
नगरीय विकास एवं आवासन विभाग
राजस्थान, जयपुर

क्रमशः:-18/-

उपरोक्त मुआवजे की राशि पर कब्जे की दिनांक 11-6-84 से एकवर्ष की अवधि तक 9% की दर से तथा तत्पश्चात् भुगतान की दिनांक तक 15% ब्याज देय होगा जिसकी गणना राजस्थान आवासन मण्डल द्वारा भुगतान के समय की जायेगी ।

(स) दावेदार श्री लाला पुत्र फूलचन्द:-

1- कुल भूमि 1बीघा 10बिस्वा का मुआवजा
   रूपये 26000/-प्रतिबीघा की दर से रूपये- 39,000.00

2- अनिवार्य अवाप्ति का मुआवजा 30%
   सोलेशियम की राशि रूपये - 11,700.00

3- धारा 23(1)(ए)के अनुसार 4(1)की
   दिनांक 22-8-83 से कब्जे की दिनांक
   11-6-84 तक 12% ब्याज की राशि रूपये- 3,782.46

उपरोक्त मुआवजे की राशि पर कब्जे की दिनांक 11-6-84 से एक वर्ष तक 9% की दर से तथा तत्पश्चात् भुगतान की दिनांक तक 15% ब्याज की दर से राशि देय होगी तथा कुल राशि में से पूर्व में 80% राशि बेरे चैक दिनांक 21-1-88 द्वारा भुगतान की गयी राशि 21600.00 मय भुगतान की दिनांक तक 15% ब्याज की गणना कर कटौती की जायेगी तथा शेष राशि भुगतान हेतु देय होगी। ब्याज की गणना राजस्थान आवासन मण्डल द्वारा भुगतान के समय की जायेगी।

(द) दावेदार श्री रामप्रसाद पुत्र देवबक्श:-

1- कुल भूमि 11बिस्वा का मुआवजा रूपये
   26000/-प्रतिबीघा की दर से रूपये- 14,300.00

2- अनिवार्य अवाप्ति हेतु 30% सोलेशियम
   की राशि रूपये- 4,290.00

3- धारा 23(1)(ए)के अनुसार धारा 4(1)की
   दिनांक 22-8-83 से कब्जे की दिनांक 11-6-84
   तक 12% ब्याज की राशि रूपये- 1,386.90

उपरोक्त मुआवजे की राशि पर कब्जे की दिनांक 11-6-84 से एक वर्ष की अवधि तक 9% की दर से तथा तत्पश्चात् भुगतान की दिनांक तक 15% की दर से ब्याज की राशि देय होगी जिसकी गणना राजस्थान आवासन मण्डल द्वारा भुगतान के समय की जायेगी।

विशेषाधिकारी
नगरीय विकास एवं आवासन विभाग
राजस्थान, जयपुर

क्रमश:-19/-

§6§ वाद संख्या:-10/83§26§
खातेदार श्री हरिनारायण, सीताराम पुत्र रामूलाल:-
-=-

1- कुल भूमि 4बीघा 16बिस्वा का मुआवजा
रूपये 26,500/-प्रतिबीघा की दर से रूपये - 1,27,200.00

2- कुएँ, बोरिंग, होल व पेड़ो का मुआवजे
राजस्थान आवासन मण्डल के तखमीने के
अनुसार 1/2हिस्सा रूपये- 17,376.23

कुल 1,44,576.23

3- अनिवार्य अवाप्ति का मुआवजा 30%
सोलेशियम की राशि रूपये - 43,372.87

4- के.भू.अ.अधिनियम की धारा 23§1§ए"
के अनुसार 4§1§की दिनांक 22-3-83 से
कब्जे की दिनांक 11-6-84 तक 12% ब्याज
की राशि रूपये - 14,021.91

उपरोक्त मुआवजे की राशि पर कब्जे की दिनांक 11-6-84 से एक वर्ष की अवधि तक 9% की दर से तथा तत्पश्चात् मुआवजे के भुगतान की दिनांक तक 15% की दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा तथा इसमें से पूर्व में रूपये 69,120/-का भुगतान चैक दिनांक 7-4-88 से किया जा चुका है, अत: यह राशि मय 15% की दर से ब्याज भुगतान की दिनांक तक गणना कर, कटौती की जावेगी एवं शेष राशि का भुगतान देय होगा दोनों स्थितियों में ब्याज की गणना राजस्थान आवासन मण्डल द्वारा भुगतान के समय की जायेगी ।

§7§ वाद संख्या:-10/83§36§
खातेदार श्री भँवरलाल, सत्यनारायण, हरिनारायण पुत्र ग्यारसा बलाई:-
-=-

1- कुल भूमि 15 बिस्वा का मुआवजा
रूपये 25000/-प्रतिबीघा की दर से रूपये- 18,750.00

2- अनिवार्य अवाप्ति का मुआवजा 30%
सोलेशियम की राशि रूपये- 5,625.00

3- धारा 23§1§ए§के अनुसार धारा 4§1§
की दिनांक 22-3-83 से कब्जे की दिनांक
11-6-84 तक 12% ब्याज की राशि रूपये- 1,818.49

विशेषाधिकारी
नगरीय विकास एवं आवासन विभाग
राजस्थान, जयपुर

क्रमश:-20/-

उपरोक्त मुआवजे की राशि पर कब्जे की दिनांक 11-6-84 से एक वर्ष तक 9% की दर से तथा तत्पश्चात् भुगतान की दिनांक तक 15% की दर से ब्याज देय होगा तथा इस राशि में से पूर्व में 80% राशि पेटे रुपये-10,800/-का चैक दिनांक 7-4-88 से भुगतान किया जा चुका है, अतः यह राशि 15% की दर से भुगतान की दिनांक तक ब्याज की गणना कर, कटौती की जायेगी। ब्याज की गणना राजस्थान आवासन मण्डल द्वारा भुगतान के समय की जायेगी।

उपरोक्त अवार्ड राजस्थान सरकार नगरीय विकास एवं आवासन विभाग ग्रुप-3 विभाग के पत्र क्रमांक प07(3)नविआ/3/83 दिनांक 1-10-88 के द्वारा अनुमोदित किया जाकर राज्य सरकार द्वारा पुष्टि कर दी गई है। अतः आज दिनांक: 22-10-88 को कुल 31 बीघा 2 बिस्वा भूमि के मुआवजे का अवार्ड उपरोक्तानुसार घोषित किया जाता है। इसकी प्रतियाँ सम्बन्धित को नियमानुसार प्रेषित हों।

अवार्ड सरे इजलास घोषित किया गया एवं मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मोहर के साथ जारी किया गया।

विशेषाधिकारी
नगरीय विकास एवं आवासन विभाग,
राजस्थान, जयपुर।

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु निम्नलिखित को प्रेषित है:-

1- श्रीमान् शासन सचिव, नगरीय विकास एवं आवासन विभाग, राजस्थान, जयपुर।

2- सचिव, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।

3- तहसीलदार, सांगानेर (जयपुर)

4- सम्बन्धित खातेदार श्री

विशेषाधिकारी
नगरीय विकास एवं आवासन विभाग
राजस्थान, जयपुर

विशेषाधिकारी,
नगरीय विकास एवं आवासन विभाग,
राजस्थान, जयपुर।